राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत शेल्टर्स के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 30.06.2015 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री हरि राम, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. श्री मो0 तैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
7. श्री कमल कुमार सिंह, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
8. श्री वी0एन0 त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ0प्र0।
9. श्री के0 एन0 शुक्ला, लिपिक, सूडा।

2. स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 52 शहरों हेतु 71 परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अद्यतन की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

• स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या	71	(52 शहरों हेतु 71 परियोजनाएं स्वीकृत है)।
• सूडा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि (प्रथम किश्त) अवमुक्त वाली परियोजनाओं की संख्या	70	(01 परियोजना मौजा वाराणसी में स्थल विवाद के दृष्टिगत धनराशि अवमुक्त नहीं। उक्त परियोजना का निरस्तीकरण प्रस्ताव प्राप्त)।
• इस माह जून 2015 में निर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	11	
• स्थल विवाद/तकनीकी कारणों से लम्बित परियोजनाओं की संख्या	15	1. गाजियाबाद-(4) 2. कानपुर नगर (01) तकनीकी, 3. सहारनपुर (2), 4. सिद्धार्थनगर (1), 5. शामली (1), 6. बाराबंकी (1) तकनीकी, 7. वाराणसी (1), 8. मुजफ्फरनगर (1) हाईटेंशन तार, 9. गाजीपुर (1), 10. सन्त कबीर नगर-खलीलाबाद (1), 11. हाथरस (1) (2 परियोजनाएं कानपुर नगर एवं वाराणसी पूर्णरूपेण अभ्यर्पित की जायेंगी। शेष में स्थल परिवर्तन/तकनीकी समस्या का समाधान प्रक्रियाधीन है)।

• परियोजनाओं की संख्या जिनमें निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए था	45	
• परियोजनाओं की संख्या जिनमें शहर स्तर पर एम0ओ0यू0 सम्पन्न	42	लोनी, मुगलसराय, एवं कानपुर देहात में एम0ओ0यू0 शीघ्र सम्पन्न किये जाने की सूचना। **(लम्बित परियोजनाओं को सम्मिलित कर एम0ओ0यू0 सम्पन्न कुल परियोजनओं की संख्या–50)**
• परियोजनाओं की संख्या जिनमें कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को सी0एम0एम0यू0 द्वारा धनराशि अवमुक्त	36	1. वाराणसी–जोलहा एवं 2. मुगलसराय – टी0एस0 अपेक्षित, 3. लोनी–प्रक्रियाधीन, 4. बांदा एवं 5. कासगंज–डी0एम0 द्वारा विस्तृत कार्ययोजना अपेक्षित, 6. कानपुर देहात, 7. कानपुर नगर– 3 परियोजनाओं में नगर आयुक्त द्वारा 10 : प्रगति के उपरान्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के निर्देश। **(लम्बित परियोजनाओं को सम्मिलित कर धनराशि अवर्मुक्त कुल परियोजनाओं की संख्या–44)।**
• निर्माण कार्य प्रारम्भ वाली परियोजनाओं की संख्या	23 (51%)	
• निर्माण कार्य अनारम्भ वाली परियोजनाओं की संख्या	22 (49%)	
• धनराशि अवमुक्त वाली परियोजनाओं की संख्या जिन पर निर्माण कार्य अनारम्भ है।	13 (36%)	1. भदोही, 2. महोबा, 3. प्रतापगढ़, 4. मुरादाबाद, 5. चन्दौसी, 6. बरेली, 7 सिकरौल–वाराणसी, 8. आजमगढ़, 9. कौशाम्बी–मंझनपुर, 10. दादरी–जी0बी0 नगर, 11. बलिया, 12. बिजनौर, 13. रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र।
• निर्माण कार्य की गति		अत्यन्त धीमी केवल 02 अपग्रेडेशन परियोजना कानपुर नगर में 35%, मैनपुरी में 20%।

(परियोजनावार विवरण संलग्न)

- शहर जहां भूमि अनुपलब्ध है। 15 1. सीतापुर, 2. ललितपुर, 3. बलरामपुर, 4. अमेठी, 5. शाहजहांपुर, 6. मोदीनगर, 7. बड़ौत, 8. हरदोई, 9. अम्बेडकर नगर, 10. चन्दौली, 11. देवरिया, 12. फैंजाबाद, 13. बहराइच, 14. जौनपुर, 15. बागपत
- शहरों की संख्या जहां आगणन गठन/संशोधन की प्रक्रिया में 14

3. अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 स्तर पर स्वीकृत परियोजनाओं की टेक्निकल स्वीकृत में काफी समय लगता है, जिसके दृष्टिगत निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब होता है।
4. कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 महाप्रबन्धक श्री ए0के0 पुरवार द्वारा अवगत कराया गया कि आज की तिथि में 02 अन्य परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, इस प्रकार अद्यतन 25 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है शेष पर शीघ्र ही प्रारम्भ करा दिया जायेगा तथा हर संभव प्रयास किया जायेगा, कि अधिकांश शेल्टर होम का निर्माण निर्धारित समय सीमा/नवम्बर 2015 तक पूर्ण करा दिया जाये।
5. **उपरोक्त आधार पर शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा में उल्लिखित प्रगति पर सचिव महोदय द्वारा प्रकरण के मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने एवं मा0 न्यायालय द्वारा निरन्तर सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-**
    1. स्थल विवाद/तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत लम्बित परियोजनाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु दूरभाष से नगर आयुक्त गाजियाबाद, सहारनपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये साथ ही, निदेशक सूडा को फॉलोअप कर लम्बित परियोजनाओं के विवाद का निपटारा शीघ्र अति शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।
    2. सी0 एण्ड0डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य तेजी से प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर शेल्टर्स हस्तागत किये जाय।
    3. अधिकांश परियोजनाओं पर निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा/नवम्बर 2015 से पूर्व पूर्ण किया जाय।
    4. निर्माण कार्य की पाक्षिक समीक्षा बैठक मिशन निदेशक द्वारा कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के साथ करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय तथा शासन को सूचित किया जाये।
    5. जिन शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं पर कोई विवाद नहीं है तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नही की गई है। वहां पर शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में धनराशि अवमुक्त किया जाय। धनराशि अवमुक्त हेतु जिला प्रशासन/सी0एम0एम0यू0 द्वारा अपेक्षित विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट एवं टेक्निकल स्वीकृति कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा बिना विलम्ब के तुरन्त उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
    6. परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लगाई गई शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में कार्यदायी संस्था एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा उपलब्ध कराया जाय इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

7. विवादित परियोजनाओं में निरस्त की जाने वाली परियोजनाओं के स्पष्ट कारणों सहित प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाय।
8. विवादित परियोजनाओं के निस्तारण हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई तथा सी0एण्ड डी0एस0 से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।
9. जिन परियोजनाओं में Soil Testing के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, उसके संबंध में सक्षम अधिकारी/पी0डब्लू0डी0 से परीक्षणोपरान्त स्पष्ट प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से SMMU को उपलब्ध कराया जाय।
10. स्वीकृति परियोजना में किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि का प्रावधान न होने के दृष्टिगत त्वरित गति से निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाय।
11. निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।
12. कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृति परियोजनाओं की टेक्निकल स्वीकृति तिथि से एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से निर्धारित प्रारुप पर निर्माण कार्य की विस्तृत प्रति आख्या प्रत्येक माह की 03 तारीख तक एस0एम0एम0यू0 सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाय।

प्रकरण के विचाराधीन रिट याचिका संख्या–55/2003 के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 24.07.2015 को अगली सुनवाई के दौरान शेल्टर्स की प्रगति समीक्षा के दृष्टिगत उल्लिखित निर्देशों के साथ कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0डी0एस0 को निर्देशित किया गया कि अविवादित सभी परियोजनाओं पर प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। परियोजना से सम्बन्धित सभी शहरों के प्रोजेक्ट मैनेजर सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, को कार्यदायी संस्था द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से सम्यक रुप से अवगत करा दें तथा उन्हें अवगत करा दिया जाये कि समय से कार्य पूर्ण न कराने पर उनकी जिम्मेदारी होगी।

भवदीय,

07/7/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

पत्रांक– 1410/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-III दिनांक– 08/7/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

4. नगर आयुक्त–नगर निगम– आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ तथा गाजियाबाद।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष– लोनी (गाजियाबाद), फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूँ, बलिया, बांदा, बुलन्दशहर, सम्भल, चंदौसी–मुगलसराय, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, शामली, उन्नाव, नवाबगंज (बाराबंकी), दादरी (गौतमबुद्धनगर), बिजनौर, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, गऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबर्टसगंज (सोनभद्र), ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा रामपुर।
6. वित्त नियंत्रक, सूडा उ0प्र0।
7. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर।
8. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी।
9. सहायक वेब मास्टर सूडा को अपलोड एवं इमेल से प्रेषण हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक